भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3571

उत्तर देने की तारीखः 17.12.2024

वृद्धाश्रमों की संख्या

3571. श्री एंटो एन्टोनीः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में कार्यशील वृद्धाश्रमों की संख्या से संबंधित कोई आंकड़े

(ख) हैं;यदि हां, तो विगत दस वर्षों के दौरान देश में वृद्धाश्रमों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वृद्धाश्रमों की स्थापना के लिए कोई दिशानिर्देश हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार वृद्धाश्रमों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो विगत दस वर्षों के दौरान प्रदान की गई ऐसी सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) का क्रियान्वयन कर रहा है, जो अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) का एक घटक है, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक गृहों (वृद्धाश्रमों), सतत देखभाल गृहों आदि के संचालन एवं रखरखाव के लिए गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे वृद्धाश्रमों में रहने वाले निर्धन वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, पोषण, चिकित्सा एवं मनोरंजक गतिविधियों जैसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। पिछले दस वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान किए गए वृद्धाश्रमों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

वृद्धाश्रमों की स्थापना के लिए दिशानिर्देशों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ) से (ङ): पिछले दस वर्षों के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा **अनुबंध-III** पर है।

अनुबंध-I

"वृद्धाश्रमों की संख्या" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री एंटो एंटनी द्वारा दिनांक 17.12.2024 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3571 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

<u>पिछले 10 वर्षों के दौरान सहायता प्राप्त वरिष्ठ नागरिक गृहों/वृद्धाश्रमों की परियोजनाओं की संख्या:-</u>

क्र.सं.	राज्य	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (आज तक)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	63	65	62	65	67	76	84	76	75	74	74
3	अरुणाचल प्रदेश	0	1	0	0	0	3	2	1	1	1	1
4	असम	26	28	31	36	35	37	38	34	32	30	30
5	बिहार	1	1	4	3	4	0	1	0	0	9	9
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ	0	1	0	3	1	2	3	3	3	3	3
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	0	2	5	6	0	3	3	2	1	2	2
10	गोवा	0	0	0		0	0	2	0	0	0	0
11	गुजरात	0	0	5	8	6	7	8	6	6	8	10
12	हरियाणा	8	11	16	14	16	18	17	11	11	12	12

क्र.सं.	राज्य	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (आज तक)
13	हिमाचल प्रदेश	1	1	4	4	0	2	2	1	1	2	2
14	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
15	झारखंड	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	3
16	कर्नाटक	21	28	27	28	33	35	38	35	38	40	40
17	केरल	0	3	6	6	6	9	3	1	1	3	3
18	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	3	3	11	12	12	10	16	14	16	34	34
21	महाराष्ट्र	46	48	51	58	67	73	78	62	52	47	47
22	मणिपुर	12	16	21	51	44	40	36	24	24	38	38
23	मेघालय	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
24	मिजोरम	1	1	1	1	0	0	2	0	0	4	4
25	नागालैंड	0	0	0	3	1	4	0	0	0	5	5
26	ओडिशा	46	54	58	61	66	76	84	99	86	82	82
27	पुडुचेरी	0	0	0		1	3	1	2	2	2	2
28	पंजाब	6	3	5	6	3	1	3	0	0	0	0
29	राजस्थान	2	3	3	4	2	6	21	24	26	26	26
30	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	67	68	71	71	75	76	75	76	74	72	70
32	तेलंगाना	11	15	16	23	24	22	19	16	16	19	19
33	त्रिपुरा	0	1	4	4	3	3	3	3	3	2	2
34	उत्तर प्रदेश	11	12	15	14	17	27	34	34	37	40	43
35	उत्तराखंड	3	4	8	8	5	1	2	2	2	2	2
36	पश्चिम बंगाल	19	26	27	26	24	24	28	25	26	28	28
	कुल	**347**	**395**	**451**	**515**	**512**	**558**	**607**	**553**	**537**	**603**	**606**

अनुबंध-II

"वृद्धाश्रमों की संख्या" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री एंटो एंटनी द्वारा दिनांक 17.12.2024 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3571 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वृद्धाश्रमों के लिए सहायता अनुदान एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) के अंतर्गत प्रदान किया जाता है, जो अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) का एक घटक है। योजना के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत प्रावधान इस प्रकार हैं:

(i) योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सभी ताजे/नए प्रस्ताव, समय-समय पर विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र में इस मंत्रालय के ई-अनुदान पोर्टल (http://www.grants-msje.gov.in/) पर ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ii) जैसे ही प्रस्ताव ई-अनुदान पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा, यह केन्द्रीय मंत्रालय स्तर के साथ-साथ जिला प्रशासन/राज्य सरकार स्तर पर भी प्रस्तावों की जांच के लिए उपलब्ध हो जाएगा। जिला प्रशासन/राज्य सरकार समय-समय पर विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट के साथ ऐसे नए/ताजे प्रस्ताव की सिफारिश करेगी।

(iii) निर्धारित समय-सीमा के भीतर ई-अनुदान पोर्टल पर प्राप्त सभी नए/ताजे प्रस्तावों पर मंत्रालय में इस प्रयोजन के लिए गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा ही विचार किया जाएगा।

(iv) प्राप्त नए प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा तथा धन की उपलब्धता के आधार पर अनुशंसा की जाएगी।

(v) स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशों के अनुमोदन तथा वित्त प्रभाग की सहमति के पश्चात, कार्यक्रम प्रभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष एक बार में स्वीकृति आदेश जारी किए जाएंगे तथा अनुदान विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर जारी किया जाना चाहिए।

(vi) कुल वार्षिक अनुदान निर्दिष्ट समय सीमा (जुलाई और दिसंबर) के भीतर दो बराबर अर्धवार्षिक किस्तों में जारी किया जाएगा। दूसरी किस्त पीएमयू/कार्य सौंपे गए अन्य एजेंसियों की रिपोर्ट प्राप्त होने तथा संगठन द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद जारी की जाएगी।

(vii) चयन समिति द्वारा अनुशंसित कार्यान्वयन एजेंसियों को गैर-आवर्ती जीआईए के साथ-साथ आवर्ती अनुदान सहायता भी सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के के अनुमोदन की तिथि से दी जाएगी। आवर्ती अनुदान वास्तविक आधार पर किसी माह माह विशेष में सेवा प्रदान किए गए लाभार्थियों पर आधारित होगा।

अनुबंध-III

"वृद्धाश्रमों की संख्या" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री एंटो एंटनी द्वारा दिनांक 17.12.2024 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3571 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले दस वर्षों के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण:-

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपए में)
1.	2014-15	14.99
2.	2015-16	27.58
3.	2016-17	36.99
4.	2017-18	44.47
5.	2018-19	65.07
6.	2019-20	107.29
7.	2020-21	122.58
8.	2021-22	93.19
9.	2022-23	72.31
10.	2023-24	118.95
11.	2024-25 (आज तक)	28.10

*****